न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–07/2019–20

अभिषेक दुग्गर –: बनाम :– मो0 हारूण रसीद वगै0

प्रथम पक्षः– 1. अभिषेक दुग्गर, पिता–स्व0 नवीन कुमार दुग्गर,
सा0–अश्विनी रोड, 21/2 पो0–शरद बोस रोड,
थाना–रविन्द्र सरोवर,
कोलकाता–700029 (प0 बंगाल)

द्वितीय पक्षः–1. मो0 हारूण रसीद, पिता–स्व0 अब्दुल गनी,
सा0–सुजापुर (नाथनगर), थाना–नाथनगर,
जिला–भागलपुर (बिहार)।

2. श्रीमती रेणु देवी, पति–विश्वनाथ अग्रवाल,
सा0–सकरीगली, रामपुर, थाना–साहेबगंज (मु0),
जिला–साहेबगंज।

3. अंचल अधिकारी, साहेबगंज।

–: आदेश :–

यह अपीलवाद की कार्रवाई अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–13.02.2020 को अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण आदेश तिथि–29.07.2005 मुटेशन वाद सं0–238/2005–06 के विरूद्ध वाद दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर विलम्बक्षान्त हेतु अवेदन पत्र पर सुनने के पश्चात् विलम्बक्षान्त करते हुए अपीलवाद को अंगीकृत किया गया। उभय पक्ष को न्यायालय द्वारा नोटिस तामिला कराई गई। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी नं0–01 के द्वारा मौजा–रामपुर नं0–03, खेवट नं0–1 तौजी नं0–427, खाता नं0–205, जमाबंदी नं0–205/361, दाग नं0–45,71 कुल रकवा–02.33 डिसमिल जमीन विपक्षी नं0–02 के नाम नामांतरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें तत्कालीन कर्मचारी का गलत व बनावटी जाँच प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालीन अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक–29.07.2005 को आदेश पारित किया गया। वर्णित जमीन का जमींदार श्रीपत सिंह दुग्गर थे एवं उक्त जमीन का लगान प्राप्त करते थे। श्रीपत सिंह अपने जीवन काल में अपनी पत्नी श्रीमती धन्या कुमारी देवी के नाम दिनांक–05.05.1934 को 99 वर्षों के लिए लीज पर दे दिये थे। जिसकी अवधि 04.05.2033 तक वैध है। श्रीपत सिंह दुग्गर को कोई संतान नहीं था। उनकी पत्नी श्रीमती धन्या कुमारी देवी का भी निधन हो जाने के कारण सभी सम्पत्ति का वारिशान उनके भतीजा जदुपत सिंह हुए। उनकी व इनकी पत्नी लीलावती दुग्गर की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र नवीन कुमार दुग्गर को प्राप्त हुआ। नवीन कुमार दुग्गर की मृत्यु उपरांत सभी चल व अचल सम्पत्ति का मालिक एकमात्र आवेदक है। विपक्षी नं0–01 ने उक्त जमीन को गलत तरीके से विपक्षी नं0–02 को बेच दिया जिसे बेचने का उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं था। आवेदक या उनका कोई भी वारिसानजन उक्त जमीन विपक्षी को तथा उनके किसी वारिसन को नहीं बेचा है। मुटेशन वाद में जमीन का वास्तविक रैयत एवं 16/आना रैयत को नोटिस तामिला नहीं कराया गया तथा राजस्व कर्मचारी से सांठगॉठ कर गलत नोटिस तामिला दिखाकर टेबुल रिपोर्ट तैयार किया गया था जो सही नहीं है। गलत तथ्य एवं गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा मुटेशन वाद सं0–238/2005–06, दिनांक–29.07.2005 को आदेश पारित कर दिया गया । जो कि कानूनी दृष्टिकोण से यह मुटेशन आदेश गलत एवं अमान्य है। इसलिए मुटेशन वाद सं0–238/2005–06 में पारित ओदश दिनांक–29.07.2005 को निरस्त किया जाय।

इसके विपरीत उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा माननीय के न्यायालय में अपनी पहचान के संबंध में कोई पुख्ता कागजात दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा दाखिल किया गया वंशावली गलत एवं अमान्य है। स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में दी गई वंशावली इस बात को प्रमाणित करती है कि ये अपीलार्थी

श्रीपत सिंह दुग्गर के वंशावली में नहीं आता है। उत्तरवादी–02 द्वारा जो सम्पत्ति मो0 हारूण रसीद से खरीदी गई है। वह संपत्ति मो0 हारूण रसीद को अपने आपसी बॅटवारे में हिस्से के रूप में प्राप्त हुई थी। वास्तव में विवादित जमीन श्रीपत सिंह दुग्गर की ही थी। जिन्होंने अपने जीवन काल में ही 1959 में हाजी मो0 ईलाही वक्स एवं मो0 अब्दुल गनी को रजिस्टर्ड केवाला सं0–3351/दिनांक–08.01.1959 के द्वारा बिक्री कर दखल दे दिया था। तथा उक्त विवादित जमीन 1959 से ही उत्तरवादी–01 पिता के दखल कब्जे एवं स्वामित्व में है। उत्तरवादी 01 को अपने पिता से ही उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है जो इनके हिस्से के ही हैं। जो उन्होंने अपने दखल एवं स्वामित्व से उत्तरवादी–02 को रजिस्टर्ड केवाला सं0–684/दिनांक–17.02.2005 के माध्यम से बिक्री कर दखल दे दिया। जिसपर 2005 से उत्तरवादी–02 का दखल कब्जा एवं स्वामित्व है। जो वैध रूप से इनके पक्ष में नामान्तरीत हुई है।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जमीन मौजा–रामपुर करारा, थाना नं0–03, जमाबंदी नं0–205/361, दाग नं–45 एवं 71 रकवा क्रमशः 1.16 एकड़ एवं 1.16 एकड़ कुल रकवा 2.33 एकड़ में से अंश रकवा 0.05 एकड़ जमीन बंदरगाह में अधिग्रहण हुआ है। वर्त्तमान में शेष रकवा–1.825 एकड़ जमीन श्रीमती रेणु देवी, पति–श्री विश्वनाथ अग्रवाल के नाम से पंजी–।। में दर्ज है। जिसका नामान्तरण वाद सं0–238/2005–06 दिनांक–29.07.2005 है। उपस्थित ग्रामीण से पूछने पर बताया गया कि दाग नं0–45 एवं 71 पर स्थित आम बगान पर श्रीमती रेणु देवी, पति–श्री विश्वनाथ अग्रवाल के दखल कब्जे में है।

अपीलार्थी को निबंधित पत्र सं0–RJ283604696IN, दिनांक–21.10.2022 को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्राचार पता पर पत्र भेजा गया। प्रेषित पत्र में डाकिया द्वारा दिनांक–26.10.2022 को Refund अंकित करते हुए वापस किया गया। इसके साथ–साथ अपील वाद प्रारंभ होने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा दिनांक–10.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 16.09.2021, 21.10.2021, 30.101.2021, 17.12.2021 एवं दिनांक–17.06.2022 को हाजरी दी गई, किन्तु आपत्ति के आलोक में कोई भी प्रमाणित राजस्व कागजात व साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत एवं खारिज किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, साहेबगंज का नामान्तरण वाद सं0–238/2005–06 आदेश तिथि–29.07.2005 को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायलय में इस वाद के विरूद्ध अपील दायर कर सकते है। आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/03/23

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांकः– 08 /डी0बी0, साहेबगंज, दिनांक– 16.03.2023

आदेश की प्रति कुल 01 (एक) पन्ने में।

Digitally signed by JAY BARDHAN KUMAR
Date: 2023.06.12 17:43:35 +05:30
Location: 192.168.29.187

16/03/23

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

16.03.23